

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 15, सोमवार, श॥के 1947- जनवरी 05, 2026 Pausa 15, Monday, Saka 1947- January 05, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 02, 2026

जी.एस.आर.104 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 25.11.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र मोहन,

संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 25, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के **व्यक्तिशः** बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

- (i) क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ 2 के खंड (घ) के सामने स्तंभ 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "दरें वहीं होंगी जो उद्योग विभाग विनिश्चित करे।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड सेवा प्रभार प्रभारित करेगा, जो समुचित रूप से उद्योग विभाग द्वारा अवधारित किया जायेगा और 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ 2 के खंड (च) के सामने स्तंभ 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान लघु उद्योग निगम सेवा प्रभार प्रभारित करेगा जो 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या ऐसा होगा जैसा प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान लघु उद्योग निगम सेवा प्रभार प्रभारित करेगा जो समुचित रूप से उद्योग विभाग द्वारा अवधारित किया जायेगा और 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 50 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

50.	शासकीय बैठकों/सम्मेलनों/ आयोजनों में खाद्य और पेय, कैटरिंग	(क) राजस्थान पर्यटन विकास निगम/ भारतीय पर्यटन विकास निगम/राजस्थान राज्य होटल निगम से (ख) राजस्थान संविधान क्लब से (ग) कार्यालय परिसरों में स्थित प्राधिकृत प्रदायकर्ताओं/कैंटीन से	राजस्थान संविधान क्लब, केवल राजस्थान संविधान क्लब में आयोजित बैठकों/सम्मेलनों/ आयोजनों में खाद्य, पेय और कैटरिंग प्रदाय करेगा। कार्यालय परिसरों में स्थित प्राधिकृत प्रदायकर्ताओं/कैंटीन द्वारा खाद्य और पेय का प्रदाय, कार्मिक विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित सीमाओं के अध्यक्षीन, राजस्थान सरकार द्वारा नियत दरों पर किया जायेगा।
-----	--	---	---

[एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025]

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र मोहन,

संयुक्त शासन सचिव।